

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1387

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की समीक्षा

†1387. श्री हुकुम सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की समीक्षा और इसे हटाने के लिए सहमत हुई है; और  
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : वर्तमान में कश्मीर और अन्य राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां

अधिनियम (एएफएसपीए) को हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं

है। तथापि, संबंधित राज्य सरकार और केन्द्रीय एजेंसियों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा

आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जाती है।

-----